राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

65वीं बैठक दिनांक 05 जून, 2018 के कार्य बिन्दुओं से संबंधित कृत कार्यवाही

क्र.सं	कार्य बिन्दु	कृत कार्रवाई
1.	**शासन से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण :** **क)** राजस्व विभाग एवं एन.आई.सी. आपसी समन्वय से राज्य के 58 तहसीलों, जिनमें कृषि ऋणों के विरुद्ध **"भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार"** दर्ज करने से संबंधित वेब एप्लीकेशन में **Real Time Display** की व्यवस्था लागू हो गयी है, के अतिरिक्त राज्य के शेष बचे **42 तहसीलों** में भी यह व्यवस्था यथाशीघ्र लागू करने के उपरांत इसकी सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करें। **ख)** बैंकों के लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों में वसूली में तेजी लाने हेतु शासन स्तर से समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। **ग) Tenant Farmer** को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने के संदर्भ में शासन स्तर पर नीति निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। **घ - i)** वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में आरसेटी संस्थानों द्वारा बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों पर व्यय की गयी राशि क्रमश: **₹ 2.02 लाख** तथा **₹ 8.16 लाख** की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जानी है। **घ - ii)** शासन द्वारा आरसेटी संस्थान देहरादून, नैनीताल एवं टिहरी के भवन निर्माण हेतु आबंटित / चयनित भूमि, जो विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक अवरोधों के कारण अनुकूल नहीं हैं, के स्थान पर नयी भूमि का आबंटन / चयन किया जाना अपेक्षित है।	**शासन से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण :** **क)** दिनांक 27 जुलाई, 2018 को सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एन.आई.सी. के प्रतिनिधि द्वारा **101** तहसीलों में भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार की प्रक्रिया पूरी किए जाने की पुष्टि की गयी है तथा शेष **6** तहसीलों (नरायणबगड़, जिला चमोली / नानकमत्ता, जसपुर, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर / त्यूनी, जिला देहरादून / खयान्सु, जिला नैनीताल) में ऑन-लाइन भूमि अभिलेखों पर प्रभार अंकित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। **ख)** इस विषयक शासन स्तर से की गयी कार्यवाही का विवरण प्रतीक्षित है। **ग)** Tenant Farmer को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जाने संबंधी नीति का निर्धारण शासन स्तर से किया जाना प्रतीक्षित है। **घ - i)** वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में आरसेटी संस्थानों द्वारा बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों पर व्यय की गयी लम्बित राशि में से वर्ष 2016-17 में **₹ 2.02 लाख** तथा वर्ष 2017-18 में **₹ 1.51 लाख** की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा कर दी गयी है तथा शेष राशि **₹** 6.65 लाख की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा किया जाना प्रतीक्षित है। **घ - ii))** शासन द्वारा आरसेटी संस्थान देहरादून, एवं * **नैनीताल** के भवन निर्माण हेतु पूर्व आबंटित / चयनित भूमि का पुन: आबंटन किया जाना प्रतीक्षित है। आरसेटी, टिहरी के संदर्भ में जिला प्रशासन टिहरी द्वारा उनके पत्र संख्या **02/रा.का.(भू.उप.)/2017 आरसेटी टिहरी** दिनांक 01 जनवरी, 2018 द्वारा नई भूमि आबंटन में असमर्थता व्यक्त की गयी है तथा पूर्व आबंटित भूमि पर निर्माण हेतु निर्देशित किया गया है। * **अद्यतन सूचना के अनुरुप जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा आरसेटी संस्थान नैनीताल को ग्राम कुंवरपुर तहसील हल्द्वानी में भूमि हस्तानांतरण की स्वीकृति दिनांक 20.08.2018 को प्रदान कर दी गयी है।**

	ङ) सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत सभी संबंधित विभाग वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास में क्रमश: **40%** एवं **60%** ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करने के साथ उनके नियंत्रकों को भी तदनुसार सूचित करना सुनिश्चित करें।	**ङ)** संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए जाने हेतु सूचित किया गया है।
2.	**<u>बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण</u> :** **क)** समस्त बैंक वित्तीय वर्ष 2018-19 में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत उन्हें आबंटित लक्ष्यों के सापेक्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रथम त्रैमास हेतु निर्धारित मानक **15%** की सेक्टरवार प्राप्ति करना सुनिश्चित करें। **ख)** जिन बैंकों ने वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाइन फाईलिंग से संबंधित एडमिन यूजर के आई.डी. पासवर्ड अभी तक नहीं बनवाए हैं, वे यथाशीघ्र राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के माध्यम से एन.आई.सी. के द्वारा बनवाना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी बैंक वसूली प्रमाण पत्रों की फाईलिंग का कार्य ऑन-लाइन मोड में करना सुनिश्चित करें। **ग - i)** समस्त बैंक द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना / मौसम आधारित फसल बीमा योजना - खरीफ 2018 के अंतर्गत संसूचित फसलें यथा धान, मण्डुवा, आलू, अदरक, टमाटर, फ्रासबिन एवं मिर्च के लिए निर्धारित समयावधि के दौरान वितरित / स्वीकृत किए गए ऋण खातों को अनिवार्यत: बीमा से आच्छादित करना सुनिश्चित करें। **ग - ii)** समस्त बैंक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना - खरीफ 2018 के अंतर्गत बीमा आच्छादित कृषकों का डाटा अनिवार्यत: भारत सरकार के फार्मर पोर्टल **www.pmfby.gov.in** पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। **ग - iii)** समस्त बैंक **रबी 2017-18** सीजन के अंतर्गत ऐसे बीमित कृषकों, जिनका डाटा फार्मर पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया है, का विवरण भी पोर्टल पर अपलोड कर, इसकी पुष्टि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	**<u>बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण</u> :** **क)** वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही की समाप्ति पर वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य **₹ 20025 करोड़** के सापेक्ष **₹ 3721.12 करोड़** की प्राप्ति दर्ज की गयी है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम तिमाही हेतु निर्धारित मानक **15%** के सापेक्ष **19%** है। **ख)** बैंकों द्वारा वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाइन फाईलिंग से संबंधित एडमिन यूजर के आई.डी. पासवर्ड बनवा लिए गए हैं और ऑन-लाइन मोड में कार्य आरम्भ कर दिया जाना अवगत कराया गया है। **ग - i)** समस्त बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना / मौसम आधारित फसल बीमा योजना - खरीफ 2018 के अंतर्गत संसूचित फसलें यथा धान, मण्डुवा, आलू, अदरक, टमाटर, फ्रासबिन एवं मिर्च के लिए निर्धारित समयावधि के अनुसार माह जून, 2018 तक लगभग **76,580** जिसमें से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा मौसम आधारित फसल बीमा में क्रमश: **36,028** तथा **40,662** पात्र ऋण खातों को बीमा से आच्छादित किया गया है। **ग -** ii) बैंकों द्वारा मौसम खरीफ 2018 में आच्छादित कृषकों का डाटा भारत सरकार के फार्मर पोर्टल **www.pmfby.gov.in** पर अपलोड करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा माह जून, 2018 तक **47,000** से अधिक कृषकों का आच्छदन पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, शेष अच्छादन एवं अपलोडिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसे 15 अगस्त, 2018 तक संपन्न किया जाना अनिवार्य है। **ग - iii)** राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 65वीं बैठक में बैंकों को दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में भारत सरकार के पोर्टल पर संबंधित मौसम में बीमित कृषकों का डाटा **51,000** से बढ़कर **67,980** हो गया है तथा लगभग **6,310** में कार्य प्रक्रियाधीन सूचित किया गया है।

	घ) समस्त बैंक वित्तीय वर्ष 2018-19 में सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं को प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें।	**घ)** इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सभी बैंक नियंत्रकों को समुचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं।
	ङ) समस्त बैंक नियंत्रक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत उनकी नियंत्रणाधीन शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण दिनांक 30 जून, 2018 तक करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही बैंक अपने द्वारा प्रदान किए जा रहे गृह ऋण, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता को पूरा करते हैं, को इस योजना के अंतर्गत कवर करें एवं इसकी सूचना संबंधित विभाग को भी उपलब्ध करवाएं।	**ङ)** प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा जून, 2018 त्रैमास में **538** व्यक्तियों को **₹ 70.28 करोड़** के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें बैंकों द्वारा सीधे प्राप्त **502** आवेदन पत्र राशि **₹ 67.66 करोड़** तथा विभाग द्वारा प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों में से **36** आवेदन पत्र **₹ 2.61 करोड़** स्वीकृत किए जा चुके हैं। लम्बित ऋण ओवदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु: ई-मेल द्वारा बैंकों को पुन: निर्देशित किया गया है।
	च) समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत अपने जिले में नगर निकायों के द्वारा बैंक शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।	**च)** दिनांक 27 जुलाई, 2018 को सचिव (वित्त), उत्तराखंड की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बैंकों द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में परिवार की महिला आवेदक को ऋण देने का प्रावधान है, जिसमें भूखण्ड आवेदक के नाम पृथक अथवा संयुक्त रुप से न होना, नक्शा पास न होना, आय निर्धारण के दस्तावेज (आईटीआर) न होना आदि कारणों से ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण लम्बित है क्योंकि पी.एम.ए.वाई. के अंतर्गत ऋण बैंक की सामान्य गृह ऋण योजना के अंतर्गत ही ऋण स्वीकृति का प्रावधान किया गया हैं।
	छ) भारत सरकार के निर्देशों के अनुक्रम में सभी संबंधित बैंक आधार पंजीकरण केन्द्र की स्थापना एवं संचालन हेतु चयनित शाखाओं में लम्बित स्थापना के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें।	**छ)** इस विषयक चयनित **230** बैंक शाखाओं में से मार्च, 2018 में **102** शाखाओं से बढ़कर जून, 2018 तक **152** शाखाओं में आधार पंजीकरण केन्द्र की स्थापना कर इनके संचालन का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।
	ज) कनेक्टिविटी रहित अवशेष बचे एस.एस.ए., जहाँ वी.-सैट लगाया जाना अभी लम्बित है, में संबंधित बैंक वी.-सैट लगाने के कार्य को अविलम्ब पूरा करें।	**ज)** कनेक्टिविटी रहित अवशेष **209** एस.एस.ए. में से **57** स्थानों पर वी.-सैट स्थापित अथवा वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्राप्त कर ली गयी है, वर्तमान में **152** स्थानों पर वी.-सैट स्थापित करना लम्बित है।
	झ) जिन एस.एस.ए. में बी.सी. / सी.एस.पी. नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पर बैंक **सरकारी राशन विक्रेताओं, सी.एस.सी. (Common Service Centre) एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों विशेष रुप से महिला सदस्य** को बी.सी. / सी.एस.पी. के रुप में नियुक्त करने की कार्यवाही करें।	**झ)** संबंधित बैंकों द्वारा सरकारी राशन विक्रेताओं, सी.एस.सी. एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों विशेष रुप से महिला सदस्य को बी.सी. / सी.एस.पी. के रुप में नियुक्त करने की दिशा में समुचित कार्यवाही करते हुए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को एस.एस.ए. की सूची प्रेषित कर दी गयी है।
	ञ) संबंधित बैंकों **inadequately covered or**	**ञ) Inadequately covered or uncovered by**

	uncovered by financial infrastructure के तहत आबंटित ग्रामों में जनसामान्य को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु बी.सी. / सी.एस.पी. की नियुक्ति कर इसकी पुष्टि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को दिनांक **20 जून, 2018** तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	**financial infrastructure** के तहत आबंटित **484** ग्रामों में से **439** ग्रामों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु बी.सी. / सी.एस.पी. की नियुक्ति का कार्य संपन्न हो चुका है तथा शेष **45** ग्रामों में शीघ्र ही बी.सी. की नियुक्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है। जिसमें से **17** गाँवों में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा प्रक्रिया पूरी करने की पुष्टि प्रेषित की गयी है।
	ट) समस्त बैंक कैम्प मोड में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करें।	**ट)** समस्त बैंकों द्वारा जून, 2018 त्रैमास में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत **24,819** पात्र व्यक्तियों को **₹ 374.06 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं।
	ठ) समस्त बैंक स्टैण्ड अप इण्डिया योजना के अंतर्गत निधारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें तथा इस कार्य के लिए श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से **lead** प्राप्त करें।	**ठ)** समस्त बैंकों द्वारा जून, 2018 त्रैमास में स्टैण्ड अप इण्डिया योजना के अंतर्गत **65** ऋण आवेदन पत्रों में **₹ 18.55 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। अत: योजनांतर्गत अभी तक कुल **1,107** पात्र व्यक्तियों को कुल **₹ 241.74 करोड़** के ऋण प्रदान किए हैं।
	ड) केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए समस्त बैंक अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को योजना के अंतर्गत कवर करना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त बैंक, प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खुले कुल खातों 23,28,120 के सापेक्ष प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कुल बीमित खाताधारकों की संख्या 17,82,842 के अंतर को दृष्टिगत रखते हुए अवशेष बचे जन-धन खाताधारकों को भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कवर करने हेतु विशेष प्रयास करें।	**ड)** दिनांक 31 मई, 2018 को दोनों सामाजिक बीमा योजनाओं की पॉलिसी बीमा अवधि समाप्त हो गयी थी। योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए जून, 2018 त्रैमास में बैंकों द्वारा निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है। **योजना** / **आच्छादित खातों की संख्या** पीएमएसबीवाई / 12,36,398 पीएमजेजेवाई / 3,65,564 **योजना** / **आच्छादित खातों की संख्या** एपीवाई / 88,158
	ढ) निम्न **जिलों** का ऋण-जमा अनुपात **मार्च, 2018** त्रैमास की समाप्ति पर **40 प्रतिशत** से कम रहा है। **जिला** / **मार्च, 2018** / **जिला** / **मार्च, 2018** अल्मोड़ा / 22% / रुद्रप्रयाग / 28% पौड़ी / 23% / बागेश्वर / 29% चम्पावत / 24% / पिथौरागढ / 33% टिहरी / 26% / देहरादून / 36% चमोली / 27% संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली त्रैमासिक ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने विषयक समिति की बैठक में रेखीय विभागों, बैंकों एवं नाबार्ड के साथ क्षेत्र विशेष आधारित ऋण वितरण की कार्ययोजना बनाएं और उसे क्रियान्वित करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि जिले के	**ढ)** अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा सूचित किया गया है कि संबंधित जिलों में ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें क्षेत्रीय संभाव्यता के आधार पर ऋण वितरण हेतु कार्ययोजना पर चर्चा की जा रही है, जिससे ऋण प्रवाह में अपेक्षित वृद्धि दर्ज की जा सके।

	ऋण-जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि दर्ज की जा सके। सभी अग्रणी जिला प्रबंधक त्रैमासिक आयोजित होने वाली डी.एल.आर.सी. / ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने विषयक समिति की बैठक से संबंधित कार्य बिंदु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	
	ण) समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक, नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु एरिया डेवलपमेन्ट स्कीम के तहत जिलेवार डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन के अंतर्गत उन्हें आबंटित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।	**ण)** नाबार्ड द्वारा एरिया डेवलपमेन्ट स्कीम के तहत **₹** 98 करोड़ का लक्ष्य सूचित किया गया था। उक्त लक्ष्य को कृषि क्षेत्र के सावधि ऋण में समाहित करते हुए कृषि संबंधी अनुषंगी गतिविधियों के लिए बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु यथा डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि के लिए **₹ 340.93 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं।
	त) अग्रणी जिला प्रबंधक आरसेटी संस्थानों द्वारा स्वयं के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के बैंक शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की प्रगति समीक्षा त्रैमासिक **डी.एल.आर.सी. / डी.एल.आर.ए.सी.** की बैठकों में करना एवं लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का उचित निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।	**त)** समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा इस विषयक अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।
3.	**<u>नाबार्ड से संबंधित कार्य बिंदु</u> :** **क)** भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उत्तराखंड राज्य में वी.-सैट क्रय एवं इनकी स्थापना पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नाबार्ड को **in-principle approval** हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाना है।	**<u>नाबार्ड से संबंधित कार्य बिंदु</u> :** **क)** इस विषयक भारतीय स्टेट बैंक को नाबार्ड से **in-principle approval** प्राप्त हो गया है तथा संबंधित बैंक द्वारा बरसात के बाद माह सितम्बर, 2018 तक वी.-सैट स्थापित किया जाना अवगत कराया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 14 स्थानों पर वी.-सैट की आपूर्ति होना सूचित किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व वी.-सैट वैण्डर द्वारा अपनी असमर्थता व्यक्त करने के कारण अन्य वैण्डर्स से वी.-सैट की स्थापना हेतु सर्वे कराया गया, जिसमें वैण्डर द्वारा रिमोट एरिया होने के कारण असमर्थता व्यक्त की गयी। दिनांक 27 जुलाई, 2018 की बैठक में सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल. के साथ बैंक की बैठक आयोजित की जाए।
	ख) बैंकों द्वारा किये गये अनुरोध के परिपेक्ष्य में वी.-सैट क्रय एवं इनकी स्थापना पर होने वाले व्यय की नाबार्ड द्वारा प्रतिपूर्ति करने हेतु दावा प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 31 मार्च, 2018 को आगे बढ़ाया जाना।	**ख)** नाबार्ड के परिपत्र संख्या डीएफआईबीटी/5418-5813/डीएफआई-23/2018-19 दिनांक 15 जून, 2018 द्वारा अवगत कराया है कि वी.-सैट स्थापित करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 एवं उससे संबंधित प्रतिपूर्ति दावा करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 मार्च, 2018 को बढ़ाकर अब **30 अप्रैल, 2019** कर दिया गया है, जिसे संबंधित बैंकों को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

		अत: संबंधित बैंक निर्धारित समय तक अनिवार्य रुप से समस्त एस.एस.ए. में वी.-सैट स्थापित करते हुए नाबार्ड को प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4.	सभी बैंक नियंत्रक, 30 जून, 2018 की **त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी 1-48** पूर्णत: जाँच करने के उपरांत एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट **www.slbcuttarakhand.com** पर सही एवं वास्तविक आँकड़े, दिनांक **10 जुलाई, 2018** तक ऑन-लाइन प्रेषित करें। **(कार्रवाई - सभी बैंक)**	बैंकों द्वारा एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर ऑन-लाइन डाटा **25 जुलाई, 2018** तक प्रेषित किए गए।

****